कार्यालय प्रभागीय निदेशक,सामाजिक वानिकी प्रभाग,कानपुर

पत्रांक 3641 /14-1 दिनॉक, कानपुर, मई 07, 2019

सेवा में,

प्रबन्धक
घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड
644 एवं 644ए, लखनपुर को–पोरेटिव हाऊसिंग सोसाएटी
विकास नगर, कानपुर

विषयः– घाटमपुर 765 के0वी0, एस0 / सी0 घाटमपुर–हापुड़ ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्र दिनांक 24.01.2019।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्तावित घाटमपुर 765 के0वी0, एस0 / सी0 घाटमपुर–हापुड ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण स्थल की जॉच क्षेत्रीय वन अधिकारी, घाटमपुर से करायी गयी। क्षेत्रीय वन अधिकारी, घाटमपुर की पत्र संख्या 257 / 14–1 दिनांक 25.03.2019 द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार उक्त प्रस्तावित लाइन का स्थलीय संयुक्त निरीक्षण घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि श्री नवनीत चड्ढा के साथ किया गया। उपरोक्त ट्रांसमिशन लाईन राष्ट्रीय राजमार्ग–86 (34) (कानपुर–हमीरपुर रोड) के कि0मी0 51–52 एवं प्रदेशीय राजमार्ग 46 (मुगल रोड) कि0मी0 28–29 तथा इटावा शाख नहर के कासिंग में सड़क / नहर के दोनो तरफ संरक्षित वन घोषित है। (गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रति संलग्न)। संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार उक्त ट्रांसमिशन लाइन में 0.624 हे0 संरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है।

अतः वन संरक्षण अधिनियम–1980 के अन्तर्गत ऑन लाइन आवेदन कर प्रस्ताव 05 प्रतियों में प्रस्तुत करें।

संलग्नक– यथोपरि

भवदीय

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर

पत्रांक /अ समदिनांकित

प्रतिलिपि–क्षेत्रीय वन अधिकारी, घाटमपुर रेंज को उनकी पत्र संख्या 257 / 14–1 दिनांक 25.03.2019 के क्रम में सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत ट्रान्समिशन लाइन निर्माण में वन संरक्षण अधिनियम–1980 का उल्लंघन कदापि न होने दें।

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कानपुर देहात वन प्रभाग, कानपुर देहात

पत्रांक 27 /14–1 दिनांक, कानपुर देहात, जुलाई 03 2019

सेवा में,

मैनेजर,
घाटमपुर हापुड ट्रान्समिशन लाईन लि0
644, 644ए, लखनपुर
कोपरेटिव हाउस सोसाईटी विकास नगर कानपुर

विषयः– 765 के0 वी0 सिंगल सर्किट घाटमपुर–हापुड ट्रान्समिशन लाईन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपके कार्यालय के पत्र दिनांक–24.01.2019

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि 765 के0 वी0 सिंगल सर्किट घाटमपुर–हापुड ट्रान्समिशन लाईन के निर्माण में आरक्षित/संरक्षित वनभूमि कितनी वनभूमि तथा वृक्ष प्रभावित हो रहे है इस कार्यालय की पत्र सं0–120/14–1 दि0–19.03.2019 द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी भोगनीपुर व क्षेत्रीय वन अधिकारी डेरापुर से प्रस्तावित स्थल की संयुक्त सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। क्षेत्रीय वन अधिकारी भोगनीपुर में पत्र संख्या– 274/14–1 दिनांक 06.05.2019 द्वारा अवगत कराया गया है कि संरक्षित वनभूमि (एन0 एच0– 27 कानपुर–कालपी मार्ग) कि0मी0/माइल स्टोन 1563–1564 पर प्रास्तवि लाईन क्रास होने पर गैर वानिकी प्रयोग हेतु भोगनीपुर रेंज के अन्तर्गत 0.1257 हे0 वनभूमि प्रभावित हो रही है जिसमें कोई भी वृक्ष प्रभावित नही हो रहा है। क्षेत्रीय वन अधिकारी डेरापुर ने अपने पत्र संख्या–मेमों/14–1 दि0–07.06.2019 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित लाईन के निर्माण में संरक्षित वनभूमि एन0एच0–19 (कलकत्ता–दिल्ली रोड) का 06 लेन चौडी करण में होने जाने के कारण संरक्षित वनभूमि अवशेष नही है। एन0एच0–19 (कलकत्ता–दिल्ली रोड) कि0मी0/माइल स्टोन 416–417 पर प्रस्तावित लाईन के निर्माण में 21 वृक्ष प्रभावित हो रहे परन्तु काटने की आवश्यकता नही है। मुंगीसापुर–डेरापुर रोड जो संरक्षित मार्ग नही है परन्तु प्रस्तावित लाईन में 04 वृक्ष शीशम के प्रभावित हो रहे है, जिसमें 02 वृक्ष काटने की आवश्यता है। एम0डी0आर0 85 (मंगलपुर–झीझक रोड) जो सरक्षित मार्ग नही है। उक्त मार्ग पर लाईन के निर्माण में 56 ब्रिकगार्ड प्रभावित हो रहे है जिसमें ब्रिकगाडों को हटाने व वृक्षों का काटने की आवश्यकता नही है क्योंकि ब्रिकगाडों के ऊपर से लाईन निकाली जानी प्रस्तावित है। उपरोक्त प्रस्तावित लाईन के निर्माण में इटावा ब्रॉच निचली गंगनहर संरक्षित भूभि धोषित है। इटावा ब्रॉच निचली गंगनहर के ग्राम परजनी एवं सादरामऊ के पास से लाईन क्रास कर रही है जिसमें 0.2724 हे0 वनभूमि प्रभावित हो रही है। इटावा ब्रॉच निचली गंगनहर में कोई भी वृक्ष प्रभावित नही हो रहा है। उपरोक्त प्रस्तावित लाईन के निर्माण में डेरापुर रेंज में इटावा ब्रॉच निचली गंगनहर की 0.2724 हे0 संरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है। **डेरापुर रेंज के अन्तर्गत आरक्षित वन ब्लाक औरंगाबाद डालचन्द्र 6.0966 हे0 वनभूमि प्रभावित हो रही है। इस प्रकार उपरोक्त प्रस्तावित लाईन के निर्माण में संरक्षित 0.3981 हे0 तथा आरक्षित वनभूमि 6.0966 कुल वनभूमि 6.4947 हे0 प्रभावित हो रही है।** उपरोक्त प्रभावित लाइन के निर्माण में वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की 05 प्रतियों इस कार्यालय को प्राप्त कराना सुनिश्चित करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके। आप भोगनीपुर/डेरापुर रेंज में किसी वन ब्लाक में 12.9894 हे0 अर्थात दो गुने अवनत वनभूमि को

चिन्हित कर उसकी जी0पी0एसी0 एवं गाटा संख्या 04 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन भारत सरकार को प्रेषित किया जा सके।

प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर देहात वन प्रभाग
कानपुर देहात

पत्रांक /समदिनांकित

प्रतिलिपिः— क्षेत्रीय वन अधिकारी भोगनीपुर एवं डेरापुर को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में इस निर्देश के साथ आप अपने किसी वन ब्लाक में 12.9894 हे0 वनभूमि चिन्हित कर अधोहस्ताक्षरी अवगत कराये ताकि क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन भारत सरकार को प्रेषित किया जा सके।

प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर देहात वन प्रभाग
कानपुर देहात

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, औरैया वन प्रभाग, औरैया।

पत्रांक : 450/14-1 दिनांक : औरैया : 20/8/2019

सेवा में,

प्रबन्धक
घाटमपुर, ट्रांसमिशन लि0
644 एवं 644ए लखनऊ कोपरेटिव हाउस सोसाइटी
विकास नगर कानपुर।

विषयः— 765 के0वी0 सिंगल सर्किट घाटमपुर—हापुड़ ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में।

संदर्भ— आपका पत्र दिनांक 24.01.2019, क्षेत्रीय वन अधिकारी, अछल्दा की पत्र संख्या 28/14—1 दिनांक 16.08.2019 तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी, बिधूना रेंज, औरैया की पत्र संख्या 45/14—1 दिनांक 06.08.2019।

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि 765 के0वी0 सिंगल सर्किट घाटमपुर—हापुड़ ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण प्रस्तावित है। उक्त प्रस्तावित लाइन के निर्माण में क्षेत्रीय वन अधिकारी, अछल्दा एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी, बिधूना द्वारा 765 के0वी0 सिंगल सर्किट घाटमपुर—हापुड़ ट्रांसमिशन लाइन के प्रतिनिधि श्री देवेन्द्र सिंह के साथ क्रमशः 05.04.2019 एवं 11. 04.2019 को उक्त प्रस्तावित लाइन का संयुक्त निरीक्षण किया गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी, अछल्दा एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी, बिधूना के पत्रांक क्रमशः 149/14—1 दिनांक 16.04.2019 एवं 2364/14—1 दिनांक 27.03.2019 द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त ट्रांसमिशन लाइन राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग 234 (बिधूना—बेला रोड/एस0एच0—40) के कि0मी0 101—102 में क्रांस कर रही है। उपरोक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ संरक्षित वन घोषित है। इस मार्ग का कुल क्षेत्रफल 0. 2480हे0 प्रभावित हो रहा है। इसके अतिरिक्त बिधूना रेंज में कुसमरा वन ब्लाक की 0.7575हे0 आरक्षित वन भूमि, पशुआ वन ब्लाक की 2.3048हे0 आरक्षित वन भूमि तथा नगला दौलत वन ब्लाक की 0.3853हे0 आरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है। इस प्रकार बिधूना रेन्ज की कुल संरक्षित वन भूमि 0.2480हे0 व कुल आरक्षित वन भूमि 3.4476हे0 प्रभावित हो रही है। अतः बिधूना रेंज की कुल 3.6956हे0 वन भूमि प्रभावित हो रही है।

अछल्दा रेंज में प्रादेशित राजमार्ग—21 (दिबियापुर—बेला मार्ग) के कि0मी0 286—287 में क्रांस कर रही है। उपरोक्त राजमार्ग—21 के दोनो तरफ संरक्षित वन घोषित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 0.1984हे0 व कुल आरक्षित वन भूमि 0.4255हे0 प्रभावित हो रहा है। इस प्रकार अछल्दा रेज में कुल 0.6239हे0 वन भूमि प्रभावित हो रही है।

अतः उक्त दोनो रेन्जों की कुल 0.4464हे0 संरक्षित वन भूमि एवं 3.8731हे0 आरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है। कुल प्रभावित होने वाली आरक्षित व संरक्षित वन भूमि 4.3195हे0 है।

अतः वन संरक्षण अधिनियम—1980 के अन्तर्गत ऑन लाइन आवेदन कर प्रस्ताव 05 प्रतियों में प्रस्तुत करें।

संलग्नक—यथोपरि

(सुंदरेशा)
प्रभागीय वनाधिकारी
औरैया वन प्रभाग, औरैया

पत्रांक /समदिनांकित

प्रतिलिपि— क्षेत्रीय वन अधिकारी, अछल्दा एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी, बिधूना को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्रों के क्रम में सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत ट्रांसमिशन लाइन निर्माण में वन संरक्षण अधिनियम—1980 का उल्लंघन कदापि न होने दें।

(सुंदरेशा)
प्रभागीय वनाधिकारी
औरैया वन प्रभाग, औरैया

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग इटावा

पत्रांक 2237/14—1 (सयुक्त निरीक्षण) दिनांक, इटावा ,नबम्बर 19 , 2019

सेवा में,

वरिष्ठ प्रबन्धक
घाटमपुर हापुड ट्रान्समिशन लि0
644, 644ए0 लखनपुर को—आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी
विकासनगर कानपुर

विषयः— 765 के0वी0एस0सी0 घाटमपुर—हापुड ट्रान्समिशन लाइन के संयुक्त निरीक्षण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः— आपका पंत्र दिनांक 24.01.2019 क्षेत्रीय वन अधिकारी भरथना का पत्रांक 183 /14—1 दि0— 14.11.2019

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पंत्र के क्रम में आपको अवगत कराना है कि **765 के0वी0एस0सी0 घाटमपुर—हापुड ट्रान्समिशन लाइन के** निर्माण के संबन्ध में पुनः संयुक्त निरीक्षण **क्षेत्रीय वन अधिकारी, भरथना रेंज द्वारा घाटमपुर—हापुड ट्रान्समिशन लाइन के** प्रतिनिधि श्री देवेन्द्र सिंह की उपस्थिति में किया गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी भरथना के पत्रांक **183/14—1 दि0— 14.11.2019** द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित **765 के0वी0एस0सी0 घाटमपुर—हापुड ट्रान्समिशन लाइन के** निर्माण में **बछरोई वन ब्लाक** के गाटा सं 699/188 व नई गाटा सं0— 482 की **0.0326 हे0 आरक्षित वन भूमि** का प्रभावित होना पाया गया है तथा पूर्व में प्रेषित **0. 4347 हे0 संरक्षित वन भूमि** भी प्रभावित हो रही है। इस प्रकार **प्रभाग में कुल 0.4673 हे0** वन भूमि प्रभावित हो रही है।

अतः आप **वन संरक्षण अधिनियम 1980** के अर्न्तगत प्रस्ताव 05 प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें जिससे प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा

पत्रांक /समदिनांकित

प्रतिलिपि— उप प्रभागीय वनाधिकारी, इटावा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः— क्षेत्रीय वन अधिकारी भरथना को उनके पत्रांक 183/14—1 दि0— 14.11.2019 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी कन्नौज वन प्रभाग कन्नौज

पत्रांक– 2470/14–1 , कन्नौज, दिनांक, जून, 07/2019

सेवा में,

प्रबन्धक
घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमि0,
644ए लखनपुर हाउस सोशाइटी,
विकास नगर, कानपुर।

विषयः– 765 के0वी0 एस0/सी0 घाटमपुर–हापुड़ ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में।

संदर्भः– आपका पत्रांक दिनांक 26.04.2019 एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी, छिबरामऊ का पत्रांक–174/14–1 दिनांक 30.05.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्र के अनुपालन में प्रस्तावित 765 के0वी0 एस0/सी0 घाटमपुर–हापुड़ ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण हेतु इस कार्यालय की पत्र संख्या–2322/14–1 दिनांक 08.05.2019 द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, छिबरामऊ एवं श्री अमरेन्द्र सिंह, प्रतिनिधि ट्रांसमिशन लाइन, द्वारा संयुक्त निरीक्षण दिनांक 09.05.2019 को किया गया। संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित विद्युत लाइन प्रभाग के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन भूमि में नहीं आ रही है और न ही कोई वृक्ष प्रभावित हो रहा है।

अतः रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

(मो0 शफीक)
प्रभगीय वनाधिकारी,
कन्नौज वन प्रभाग,कन्नौज।

पत्रांक /समदिनांकित

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय वन अधिकारी, छिबरामऊ को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(मो0 शफीक)
प्रभगीय वनाधिकारी,
कन्नौज वन प्रभाग,कन्नौज।

Desktop/Gn

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मैनपुरी ।
पत्रॉक 570 /14–1 मैनपुरी :दिनॉकः अगस्त 22 ,2019

सेवा में,

प्रबन्धक
घाटमपुर ट्रान्समिशन लि0,
644 एवं 644ए लखनपुर कोपरेटिव हाउस सोसाइटी, लखनऊ
विकास नगर, कानपुर

विषयः– मैनपुरी में प्रस्तावित 765 के0वी0 एस0/सी0 घाटमपुर–हापुड़ ट्रान्समिशन लाईन के निर्माण हेतु स्थलीय जॉच करने के सम्वन्ध में

सन्दर्भः– आपका पत्र दि0 24–01–2019

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में प्रस्तावित 765 के0वी0 एस0/सी0 घाटमपुर–हापुड़ ट्रान्समिशन लाईन का संयुक्त स्थलीय सम्वन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं आपके प्रतिनिधि द्वारा किया गया है । जिसकी संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट क्षेत्रीय वन अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है, विवरण निम्न प्रकार है –

क0 सं0	रेंज का नाम	प्रस्तावित स्थल	प्रस्तावित सरंक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल	बाधक वृक्षों की संख्या
1	किशनी	निचली नहर कानपुर ब्रॉच किमी0 74 से 75 के मध्य (दो0प0)	0.35560	32
2	किशनी	इटावा– बेबर मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 92 किमी0 23 से 24 के मध्य (दो0प0)	0.26352	12
3	भोगॉव	अलीगढ़ कानपुर एन0एच0–91 किमी0 249–250 के मध्य (विछवॉ) (दो0प0)	0.233272	–
4	भोगॉव	फर्रुखाबाद – शिकोहाबाद रेल मार्ग 1268/2 – 1268/3 के मध्य (दो0प0)	0.19235	–
5	भोगॉव	लोअर गंगा नहर (बेबर ब्रांच) मील 60–61 के मध्य (दो0प0)	0.376736	–
		योग	**1.421478**	**44**

(दिनेश चन्द्र)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी

land trans.

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज वन प्रभाग,कासगंज।

(e-mail- dfokasganj@gmail.com, phone no. 05744 – 247550)

पत्रांक 2948/14–1 दिनांक, कासगंज, जून 15 — ,2019

सेवा में,

प्रबंधक
घाटमपुर ट्रांसमिसन लि0
हाउस नं0 बी– 218, सिगमा– 1,
ग्रेटर नोइडा, गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0।

विषय– 765 के0वी0 एस0सी0 घाटमपुर–हापुड़ ट्रांसमिसन लाइन निर्माण में कासगंज में बरेली – मथुरा मार्ग के कि0मी0 162.–163 और रेलवे मारहरा–कासगंज पिलर नं0 248/6–248/7 और लोअर गंगा चैनेज नं0 53.400 – 53.500 के मध्य प्रभावित कुल संरक्षित वन भूमि 0.6080 हे0 व वाधित कुल वृक्ष 46 के सम्बन्ध में।

संदर्भः– आपका पत्रांक– GTL/Feb/Forest/2019/53 व क्षेत्रीय वन अधिकारी, कासगंज का पत्रांक–249/14–1 दिनाँक 14.06.2019

महोदय,

उपरोक्त विषय संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि क्षेत्रीय वन अधिकारी, कासगंज द्वारा प्रस्तुत संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार मथुरा–बरेली, मारहरा–कासगंज रेलवे मार्ग, लोअर गंगा केनाल राज्य सरकार द्वारा संरक्षित वन घोषित है। जिसमें मथुरा–बरेली मार्ग, मारहरा–कासगंज रेलवे मार्ग, लोअर गंगा केनाल के मध्य उपर्युक्त ट्रांसमिसन लाइन से प्रभावित होने वाली भूमि 0.6080 हे0 तथा दांयी और बांयी पटरी पर व कुल 46 वृक्ष प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण निम्न प्रकार दिया गया है। उक्त भूमि का ऊपर से सम्बन्धित ट्रांसमिसन लाइन को निकालने से पूर्व पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनुमति लेना आवश्यक है।

अतः अवगत कराना है कि 0.6080 हे0 भूमि के हस्तान्तरण हेतु ऑनलाइन क्लीयरेंस पोर्टल **"परिवेष"** पर आवेदन करने का कष्ट करें। जिससे कि उक्त प्रस्ताव को प्रेषित/स्वीकृति हेतु उच्च स्तर को प्रेषित किया जा सके।

वृक्षों का विवरण–

1. यूकेलिप्टस–3
2. केसिया–सेमिया– 6
3. शीशम–35
4. पापड़ी–1
5. जंगल–जलेवी–1

(दिवाकर कुमार वशिष्ठ)
प्रभागीय वनाधिकारी,
कासगंज वन प्रभाग, कासगंज।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक 3838 /14–10, अलीगढः दिनांकः मई, 06 ,2019

सेवामें,

मैनेजर–ट्रांसमिशन,
घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड,
हाउस नं0– बी–218, सिगमा–1,
गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश–201310।

विषयः– **765 के0वी0 एस0/सी0 घाटमपुर–हापुड़ लाइन के निर्माण हेतु प्रभावित भूमि की वैधानिक स्थिति से अवगत कराने सम्बन्धी।**

सन्दर्भः– आपका पत्रांक GTL/Feb/Forest/2019/51 dated 25.02.2019

उपरोक्त विषयक मार्ग का निरीक्षण क्षेत्रीय वन अधिकारी, खैर रेंज एवं इगलास रेंज द्वारा आपके प्रतिनिधि के साथ दिनांक 04.04.2019 को किया गया, निरीक्षण के उपरांत निम्न प्रकार भूमि की वैधानिक स्थिति अथवा Demarcation of notified and non-notified forest area का विवरण निम्न प्रकार है।

S.no.	Proposed roads	Area (in ha.)	Notified/Non notified	Affected trees
1	Atrauli-Ramghat Road km 35 B.B.	0.1152	Protected Forest (Notified)	49
2	Anoopshahr Branch Canal km 17 B.B.	0.1024	Protected Forest (Notified)	13
3	Atrauli-Alampur Road km 11 B.B.	0.0640	Non-Protected (Non notified)	12
4	Maupur Minor Rajwah km 01 B.B.	0.0640	Non-Protected (Non notified)	20
5	Palimukimpur-Panehara Road km 07 B.B.	0.0640	Non-Protected (Non notified)	07
	Total-	**0.4096**		101

अतः संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रषित करने का कष्ट करें।

(एस0डी0 त्रिपाठी)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय वन अधिकारी, अतरौली रेंज को उनके पत्रांक 91/14–10 दि0 27.04.2019 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एस0डी0 त्रिपाठी)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा

पत्रांक 4342/14—1 एटा, दिनांक, मई, 16 2019

सेवा में,

प्रबन्धक,
घाटमपुर ट्रांसमिशन लि0,
हाउस नं0—बी— 218, सिगमा— 1,
ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्व नगर,
उ0प्र0।

विषयः— **765 के0वी0 एस0सी0 घाटमपुर—हापुड़ ट्रांसामिशन लाइन निर्माण में एटा—अलीगंज मार्ग के कि0मी0 18 — 19 के मध्य प्रभावित संरक्षित वन भूमि के सम्बन्ध में।**

संदर्भः— आपका पत्रांक— GTL/Feb/Forest/ 2019/54 Dt. 25-02-2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि क्षेत्रीय वन अधिकारी, एटा द्वारा प्रस्तुत संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार एटा—अलीगंज मार्ग राज्य सरकार द्वारा संरक्षित वन घोषित है। जिसमें एटा—अलीगंज मार्ग कि0मी0 18—19 के मध्य उपरोक्त ट्रांसामिशन लाइन से प्रभावित होने वाली भूमि 0.13116 हे0 X 2 (दोनों पटरी) = 0.2623 हे0 तथा दॉयी पटरी पर 24 वृक्ष बॉयी पटरी पर 19 कुल 43 वृक्ष प्रभावित होगें। उक्त भूमि के ऊपर से सम्बन्धित ट्रांसमिशन लाइन को निकालने से पूर्व पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनुमति लेना आवश्यक है।

अतः अवगत कराना है कि 0.2623 हे0 भूमि के हस्तान्तरण हेतु ऑनलाइन क्लीयरेंस पोर्टल **'परिवेश'** पर आवेदन करने का कष्ट करें। जिसमे कि उक्त प्रस्ताव को प्रेषित/स्वीकृति हेतु उच्च स्तर को प्रेषित किया जा सके।

भवदीय,

16/5/2019

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
एटा।

Draftman Rimandar-2 - 1

कार्यालय, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर।

पत्रांक– 5153 /14-1 ,बुलन्दशहर, दिनांक, 25 जून, 2019

सेवा में,

प्रबन्धक ट्रांसमिशन,
घाटमपुर ट्रांसमिशन लि0,
नं–बी–218 सीगमा–1,
गौतमबुद्धनगर।

विषय:– घाटमपुर से हापुड़ तक 765के0वी0एस0/सी0 ट्रांसमिशन लाईन से प्रभावित होने वाली भूमि एवं बाधक वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:– आपका पत्र सं0 जी0टी0एल0/एफ0सी0बी0/फारेस्ट 2019/33 दिनांक 06.02.2019 ।

महोदय,

सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि आपने 765 के0वी0एस0/सी0 घाटमपुर से हापुड़ तक ट्रान्समिशन लाईन डालने में बुलन्दशहर जनपद के विभिन्न मार्गो के ऊपर से होकर क्रास करते हुए ट्रासमिशन लाईन डालने का अनुरोध किया है, तथा ट्रासमिशन लाईन से प्रभावित बाधक वृक्षों के पातन का अनुरोध किया गया है इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र सं0 3441/14–1 दिनांक 11.02.2019 द्वारा आपको अपने किसी प्रतिनिधि को भेजकर इस वन प्रभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारी, बुलन्दशहर, स्याना, डिबाई एवं अनूपशहर के साथ मौके का संयुक्त निरीक्षण करने हेतु लिखा है। इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय वन अधिकारी, बुलन्दशहर, स्याना, डिबाई एवं अनूपशहर ने अवगत कराया है कि ट्रान्समिशन लि0 के प्रतिनिधि के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण में पाया गया है कि 765 के0वी0एस0/सी0 घाटमपुर से हापुड ट्रान्समिशन लाइन में औरंगाबाद–अशरफपुर मार्ग किमी0 3 में 39 वृक्ष, बुलन्दशहर – स्याना मार्ग किमी0 13 में 45 वृक्ष, बुलन्दशहर–सैदपुर मार्ग किमी0 20 में 16 वृक्ष, असावर मार्ग किमी0 03 में 13 वृक्ष, गुलावठी–बी0बी0नगर मार्ग किमी0 09 में 40 वृक्ष, दौलतपुर–जहांगीराबाद मार्ग किमी0 02 में 40 वृक्ष, मेरठ–बदायूँ मार्ग किमी0 115 में 48 वृक्ष, आगरा–मुरादाबाद मार्ग किमी0 119 में 9 वृक्ष, बुलन्दशहर–अनूपशहर मार्ग किमी0 18 में 59 वृक्ष, बुलन्दशहर–अनूपशहर मार्ग मील 11 से नवीनगर ग्राम के मार्ग में 7 वृक्ष, कुल 316 वृक्ष विभिन्न प्रजाति खड़े हैं, जो ट्रान्समिशन लाइन में प्रभावित होंगे, जिनको काटा जाना आवश्यक होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के आाधार पर 316 वृक्षों के स्थान पर दो गुने अर्थात 632 पौधों के रोपण हेतु संलग्न आंगणन के अनुसार रू0 **29,23,000/–** का बैंक ड्राफ्ट प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग बुलन्दशहर के नाम बनवाकर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त 316 वृक्षों के कटिंग, फैलिंग एवं लौगिंन का भुगतान पातन से पूर्व उ0प्र0 वन निगम की डिमाण्ड के अनुसार उ0प्र0 वन निगम को करना होगा। ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बुलन्दशहर।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़।

पत्रांकः 2901 /14–1, दिनांक, हापुड़ 7 मार्च, 2020

सेवा में,

प्रबन्धक,
घातमपुर ट्रान्समिशन लि0,
644 व 644ए, लखनपुर,
को–ऑपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी,
विकास नगर, कानपुर।

विषयः एन0एच0–24 क्रॉसिंग चैनज कि0मी0 49.00 निकट ग्राम निजामपुर व एन0एच0–235 चैनेज कि0मी0 40.00 व रेलवे लाइन चैनेज कि0मी0 50.541 निकट ग्राम मुर्शदपुर के प्रस्ताव सं0–FP/UP/Trans/42524/2019 हेतु गजट नोटिफिकेशन को प्रमाणित करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः आपका पत्र दिनांक 29.02.2020।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सड़क पटरी एवं रेलवे लाइन का गजट नोटिफिकेशन प्रमाणित कर भेजा जा रहा है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

प्रभागीय वनाधिकारी,
हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़